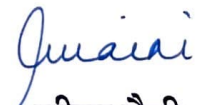


**कार्यालय चुनाव आधिकारी**  
**OFFICE OF THE RETURNING OFFICER**  
**SHREE AGGARSAIN NORTH-EX WELFARE SOCIETY (REGD.)**

**SCHEDULE**  
**(ELECTIONS 2025 -2028)**

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Nomination form to be collected / taken for filing  | 06-09-2025 to 10-09-2025                               |
| 2. Date of filing nomination                           | 09-09-2025 to 10-09-2025 (11 am to 1 pm, 2 pm to 4 pm) |
| 3. Display of list of received nominations             | 10-09-2025 (at 5 pm)                                   |
| 4. Objections against nominations, if any, to be filed | 11-09-2025 (11 am to 1 pm)                             |
| 5. Scrutiny of nomination forms                        | 11-09-2025                                             |
| 6. Withdrawal of nomination(s)                         | 12-09-2025 (11 am to 1 pm, 2 pm to 4 pm)               |
| 7. Display of list of valid nominations                | 12-09-2025 (at 5 pm)                                   |
| 8. Allotment of Symbol to the candidates               | 13-09-2025 (11 am to 1 pm, 2 pm to 4 pm)               |
| 9. List of candidates with symbols to be displayed     | 13-09-2025 (at 5 pm)                                   |
| 10. Date of Poll                                       | 28-09-2025 (9 am to 5 pm)                              |
| 11. Counting of Votes                                  | 29-09-2025 (8 am onwards)                              |

- एक व्यक्ति केवल एक पद के लिए ही नामांकन-पत्र भर सकता है। यदि कोई प्रत्याशी एक से अधिक पद के लिए नामांकन पत्र भरेगा, तो उसके सभी नामांकन पत्र स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। जो व्यक्ति किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वह किसी अन्य पद पर प्रस्तावक / अनुमोदक नहीं बन सकता। यदि ऐसा होगा तो उसके सभी नामांकन पत्र रद्द हो जायेंगे।
- एक व्यक्ति एक ही पद के लिए प्रस्तावक / अनुमोदक बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पद पर प्रस्तावक / अनुमोदक बनेगा तो उसके सभी नामांकन पत्र रद्द हो जायेंगे।
- नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को पैट्रन / ट्रस्टी पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कोई एक साथ अवश्य लेकर आये।
- उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से चुनाव कार्यालय में उपस्थित होंगे। उनके समर्थकों का कार्यालय में आना वर्जित होगा।
- कार्यालय के 100 मीटर तक ढोल-नगाड़े शोरगुल इत्यादि वर्जित होगा। यदि उपरोक्त निर्देश का पालन नहीं किया जाता तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- नामांकन पत्र दाखिल करने के समय प्रत्येक उम्मीदवार को ₹5000 (पाँच हजार रुपये) जमा कराने होंगे जो कि नॉन - रिफंडेबल है।

  
**सीमा मैनी**

[प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली (से.नि.)]  
(चुनाव अधिकारी)

**SEEMA MAINI**  
Principal District & Sessions Judge (Retd.)  
Returning Officer  
Shree Aggarsain North-Ex Welfare Society (Regd.)  
PSP, Sector-22, Rohini, Delhi-110086